

30 $\frac{9}{22}$

आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ
पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।
न्यायालय में बार-बार आवाज
लगवाने के बावजूद सायं 5.00
बजे तक वादी एवं वादी वकील
में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदमपैखी
में खारिज हो चुका है। मूलवाद का
निस्तारण हो जाने से प्रा० पत्र 212
RT Act का कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्रा० पत्र 212 RT Act की कार्यवाही
ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फ़ैल
शुमार लेकर रजिस्टर से कम की
जावे। संलग्न मूलवाद है।

SDO